

श्रीमान् अंचलाधिकारी

कोडरमा अंचल ।

विषय :- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के संबंध में ।

स.पु.प. महाशय,

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं संजय कुमार पाण्डे
ग्राम मडुआर पो सुमरी तिलैया थाना तिलैया
जिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :-

1. मौजा मौरियावा
2. थाना तिलैया
3. थाना न० ०२
4. खाता न० १५
5. प्लॉट न० ११०८
6. रकबा २.५३१०
7. भूमि का किस्म श्यामी
8. अधतन रसिद न० ०२०८३२६४-२२
9. दा० खारिज वाद संख्या ५७०३/२०२२-२०२३

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि के निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा ।

संजय पाण्डे
१७-०२-२०२३
विश्वासभाजन

न्यायालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या :-153...../2023

21/03/23

आवेदक संजय कुमार पाण्डेय, पिता-स्व० शम्भु पाण्डेय, ग्राम-मडुआटांड, पोस्ट-झुमरी तिलैया, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
मोरियावाँ	02	14	1108	2.50 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक28...../.....03...../2023 को प्रस्तुत करें।


21/03/23
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

28/3/23

08.4.23

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-मोरियावाँ, थाना नं०-02 के ऑनलाईन पंजी-II के पृ०सं०-44 भाग संख्या-29 पर खाता नं०-14, प्लॉट नं०-1108, रकवा-06 डी० भूमि संजय कुमार पाण्डेय, पिता-स्व० शम्भु पाण्डेय के नाम से ऑनलाईन जमाबंदी दर्ज है। उक्त भूमि केवाला संख्या-6658 दिनांक 24.07.1990 के द्वारा हासिल है। प्राधिकार कॉलम में दाखिल-खारिज वाद संख्या-4703/2022-23 दर्ज है। अंतिम लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है। उक्त भूमि रैयती खाते की है। शपथ पत्र संख्या-20 दिनांक 17.02.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-मोरियावाँ, थाना नं०-02 के ऑनलाईन पंजी-II के पृ०सं०-44 भाग संख्या-29 पर खाता नं०-14, प्लॉट नं०-1108, रकवा-06 डी० भूमि मध्ये रकवा-2.50 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।


08/04/23
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।